निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 वैशाख 1939 (श0)

संख्या 19 पटना, बुधवार, ——————

10 मई 2017 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-2
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	3-3
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	4-5
पूरक	---
पूरक-क	6-8

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया

अधिसूचना

24 अप्रील 2017

सं० II स्था0–36/2009–1307/रा०—बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम–1914 की धारा–3(3) के तहत् श्री बाबू राजा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा को नवादा जिलाक्षेत्र अन्तर्गत नवादा के जिलापदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन हेतु नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

(आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया का आदेश दिनांक 20.04.17)

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, प्रभारी आयुक्त के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 8—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

3 मई 2017

सं0 03/SBM-01-13/2016–1105—रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के Office Memorandum F.No.-11026/26/2016-M&E, दिनांक 10.05.2016 के कंडिका–2 में City Compost के प्रचार/प्रोत्साहन हेतु राज्य स्तर पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में State Level Steering Committee (SLSC) के गठन का प्रावधान करते हुए कंडिका–03 में SLSC के कार्य वर्णित हैं एवं कंडिका–04 में कमिटि की बैठक निर्धारित की गयी है।

उक्त के आलोक में State Level Steering Committee (SLSC) का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

1	**प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग**	**अध्यक्ष**
2	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग	सह अध्यक्ष
3	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत (शहरी)	संयोजक
4	आयुक्त/निदेशक, कृषि	सदस्य
5	आयुक्त/निदेशक, बागवानी	सदस्य
6	नगर आयुक्त, पटना नगर निगम	सदस्य
7	नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम एवं बिहारशरीफ नगर निगम।	सदस्य
8	प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, NFL (Fertilizer Company), 07 Industrial Area, Lodhi Road, नई दिल्ली	सदस्य

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 8—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 528—मैं, शम्भू राम, पिता–स्व०–दुनमुन राम, ग्राम–धरहरा मेला, थाना–कटेया, पो०' कटेया, जिला–गोपालगंज का निवासी हूँ, शपथ पत्र संख्या 2155, दिनांक 30.03.2017 के द्वारा मैं अपना उप नाम शम्भू राम को बदल कर शम्भू शरण के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाउँगा।

शम्भू राम।

No. 540— **I, JYOTI** SHARAN, S/O Late Sadhu Sharan Gupta R/O FCI Gali Purandarpur Mithapur Patna vide Affidavit no. 18158 Dated 24.10.16 shall be known as **Jyoti Raj Gupta** for all the purposes.

JYOTI SHARAN.

सं० 544—मैं, अदिति, पुत्री अनिल कुमार सराफ, निवासी–वृन्दावन नर्सिंग होम के पास, एक्जीविशन रोड, थाना–गांधी मैदान, पटना–800001, बिहार, अपना नाम अदिति, जो कि मेरे स्कूल के रजिस्टर में लिखा है, से बदलकर अदिति सराफ करना चाहती हुँ, जिसके लिए शपथ पत्र संख्या 591 दिनांक 30.01.2017 में भी व्यक्त किया गया है कि दोनों एक ही व्यक्ति है।

अदिति।

No. 544—I, ADITI, D/o Anil Kumar Sharaf, resident of Near Vrindavan Nursing Home, Exhibition Road, P.S. Gandhi Maidan, Patna – 800001, Bihar, wish to change my name as Aditi Sharaf from Aditi as shown in school register for which Affidavit No. 591 Dated 30.01.2017 Shows that both are same person.

ADITI.

No. 545—I, ALISHA D/o Sanjay Kumar R/o-Purani Bazar Nawada Declare vide Affidavit No. 2892 Dated 10.02.17 that I will be Known as Alisha Arya Further.

ALISHA.

No. 549— I, UMA SHARMA, W/O. Late Deoki Nandan Sharma, Resident of 403, Aishwarya Rohini Road No.4, Rajendra Nagar, Patna–800016 do hereby solemnly affirm & declare that I am knowing both names, Uma Sharma & Uma Kumari, same and one person. That now I known as Uma Sharma Vide affidavit No. 156. Dated 03-04-2017.

UMA SHARMA.

सं० 550—मैं, मोदीन मियाँ पिता–स्व० कुरान मियाँ निवासी ग्राम–बहुअरवा, पोस्ट एवं थाना–पलनवा, प्रखण्ड–रक्सौल, जिला–पूर्वी चम्पारण। शपथ पत्र–6021 दिनांक 29.03.2016 से अब मैं मो0 मोदीन मियाँ के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा।

मोदीन मियाँ।

No. 550— I, MODIN MIAN, S/o Late Kuran Mian, R/o Vill- Bahuarwa, P.O.+P.S.- Palanwa, Prakhand- Raxaul, Distt.- East Champaran According to Affidavit No. 6021 dated 29.03.2016 my new name is Md. Modin mian.

MODIN MIAN.

सं० 551—मैं, योगेश रंजन, पिता–श्री मुकेश चन्द्र मिश्रा, पता–मकान सं० 179, शिव नगर, शिवमंदिर के नजदीक, थाना–बेऊर, पोस्ट–अनीसाबाद, फुलवारी, जिला–पटना 800002 बिहार शपथ पत्र संख्या 4294 दिनांक 28.03.2017 से यह घोषणा करता हूँ कि मैं अब योगेश रंजन मिश्रा के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा।

योगेश रंजन।

No. 551— I, YOGESH RANJAN, So/ Sri Mukesh Chandra Mishra R/o. House No. 179, Shiv Nagar, Near Shiv Mandir P.S.–Beur P.o.- Anishanbad (Phulwari) District- Patna-800002 (Bihar) declare vide Affidavit No. 4294 Dated 28.03.2017 that now I shall be known as Yogesh Ranjan Mishra for all future purpose.

YOGESH RANJAN.

No. 552—I, RATNA KUMARI D/o Badri Narayan Upadhaya W/o Shashi Shekhar Pandey, R/o Road. No-4 Sandalpur Road, Kumharar, District-Patna, Solemnly declare vide Affidavit Number 6669 dated Oct.19, 2016 that Ratna Pandey will be known as Ratna Kumari.

RATNA KUMARI.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 8—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० के०/कारा/रा०प०–92/98–2138
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प
28 अप्रील 2017

श्री मनोज कुमार चौधरी, तत्कालीन काराधीक्षक, उपकारा, जमुई (सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर) को उपकारा, जमुई से 10 (दस) बंदियों के पलायन के प्रतिवेदित आरोपों के लिए गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 175 दिनांक 09.02.1999 द्वारा निलम्बित किया गया एवं गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 446 दिनांक 29.02.2000 के द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु सहायक कारा महानिरीक्षक–2 को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 1028 दिनांक 30.05.2000 के द्वारा श्री चौधरी को निलम्बन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी, का आदेश संसूचित किया गया।

विभागीय कार्यवाही के जांचोपरान्त सहायक कारा महानिरीक्षक–2–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध गठित कुल 10 आरोपों में से आरोप संख्या–01,02,04,05 को प्रमाणित एवं आरोप संख्या–06,08,एवं 10 को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया तथा आरोप संख्या 03,07एवं 09 को प्रमाणित नहीं पाया गया।

संचालन पदाधिकरी से प्राप्त उक्त जांच प्रतिवेदन एवं उस पर तत्कालीन कारा महानिरीक्षक के मंतव्य के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 5338 दिनांक 25.08.2004 के द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया :–

(i) निन्दन की सजा।

(ii) इन्हें देय तीन वार्षिक वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है, तथा

(iii) इन्हें भविष्य में किसी मंडल कारा के अन्तर्गत पदस्थापित नहीं किया जायेगा।

गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 5338 दिनांक 25.08.2004 के द्वारा अधिरोपित उपर्युक्त दण्ड के विरूद्ध श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 12624/2008 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.09.2016 को उक्त वाद में न्यायनिर्णय दिया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश के कार्यशील मुख्य अंश निम्नवत् है :–

" The facts being what it is, the Court is of the opinion that non-supply of the enquiry report as well as non-issuance of second show cause before punishment are vital omissions and serious prejudice is caused if a delinquent is denied either of the two opportunities, which is part of the process of imposition of punishment upon a delinquent.

In view of above and the facts not being in dispute any more, the impugned order of punishment, stands quashed. However, the matter is remanded back to the disciplinary authority and since copy of the enquiry report has now been served alongwith counter affidavit, the petitioner would proceed accordingly. He will be given an opportunity to explain himself and if the stage of second show cause is reached, the same will be issued to the petitioner and thereafter a fresh decision would be taken. "

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय ज्ञापांक 7441 दिनांक 14.12.2016 के द्वारा श्री चौधरी को जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। तद्आलोक में श्री चौधरी ने अपने पत्रांक 596 दिनांक 29.12.2016 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया।

श्री चौधरी का अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में कहना है कि उपकारा, जमुई में कारा कार्यालय मेन गेट के बाहर था एवं मुलाकाती कक्ष भी कारा गेट के सटे बगल में निर्मित नहीं था। उपकारा, जमुई में न्यायालय से उपस्थान के बाद बंदियों को विलम्ब से वापस लाया जाता था। उक्त कारणों से नम्बरबंदी में विलम्ब होता था। कोई भी बंदी को बगैर कॉल स्लिप के कारा गेट में न लेने हेतु एवं मुलाकाती पुर्जा पर प्रभारी सहायक कारापाल के हस्ताक्षर के पश्चात् ही मुलाकाती 8:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे पूर्वाह्न तक एक बार में एक–एक बंदी को कारा गेट में लाकर मुलाकाती कराने का मौखिक/लिखित आदेश उनके द्वारा दिया जाता रहा था। नियमानुसार एवं जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार बंदियों का मुलाकाती 12:00 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी भी स्थिति में नहीं कराये जाने हेतु उनके द्वारा आदेश दिया जाता रहा था एवं 12:00 बजे पूर्वाह्न के बाद मुलाकाती नहीं कराया जाता था।

आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी का अधिगम एवं श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी है। समीक्षोपरान्त पाया गया कि मुलाकाती एवं नम्बरबंदी में नियमों का अनुपालन नहीं होता था। संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में पाया है कि उपकारा में नम्बरबंदी शाम 7:00 बजे से 10:00 बजे रात्रि के बीच पूरी होती थी। प्रतिवेदन के अनुसार इसके लिए कारा संरचना को जिम्मेवार नहीं माना जा सकता है। पलायित सभी बंदी दिनांक 07.12.1998 को न्यायालय नहीं गये थे। अतः नम्बरबंदी विलम्ब के लिए आरोपित दोषी है और उनके द्वारा सतर्कता नहीं बरती गयी। सिद्धदोष बंदी अंगद सिंह पर विशेष निगरानी की आवश्यकता थी जो आरोपित द्वारा नहीं किया गया। फलतः उक्त बंदी का कारा से पलायन हुआ। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार बंदियों की मुलाकाती 12:00 बजे के बाद भी होती थी। दबंग कैदियों द्वारा चहलकदमी की जाती थी जिसे रोकने हेतु कारा प्रशासन द्वारा कोई प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की गयी।

उपर्युक्त के आलोक में श्री चौधरी के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के प्रावधानों के तहत् श्री चौधरी के विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया :–

" वर्त्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से तीन वेतनवृद्धि घटा कर वेतन की अवनति का दंड जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा। "

उपर्युक्त विनिश्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1279 दिनांक 21.03.2017 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 95 दिनांक 20.04.2017 द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त " वर्त्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से तीन वेतनवृद्धि घटा कर वेतन की अवनति का दंड जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा " संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेश एवं प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 5338 दिनांक 25.08.2004 के द्वारा पूर्व में अधिरोपित दण्ड को संशोधित करते हुए श्री मनोज कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, उपकारा, जमुई (सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया जाता है :–

" वर्त्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से तीन वेतनवृद्धि घटा कर वेतन की अवनति का दंड जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा। "

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

सं० कारा/नि0को0(अधी0)–01–01/2017–2146

संकल्प

28 अप्रील 2017

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री संजय कुमार चौधरी, काराधीक्षक (सम्प्रति निलंबित) के केन्द्रीय कारा, बक्सर में पदस्थापन अवधि में दिनांक 30/31.12.2016 की रात्रि में केन्द्रीय कारा, बक्सर से 05 सजायाफ्ता बंदियों की पलायन की घटना में उनके द्वारा बिहार कारा हस्तक–2012 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए गंभीर कोताही एवं अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है। साथ ही उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करके कई स्तरों पर लापरवाही बरती गई है जिसके कारण पलायन की इतनी बड़ी घटना घटित हुई और 05 सजायाफ्ता बंदी पलायन करने में सफल हुए।

श्री चौधरी का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री संजय कुमार चौधरी, तत्कालीन काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर, (सम्प्रति निलंबित) के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत् विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री चौधरी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य(गृह)मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 8—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in